REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022021-225140 CG-DL-E-13022021-225140

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 603]नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 12, 2021/माघ 23, 1942No. 603]NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 12, 2021/MAGHA 23, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2021

का.आ. 657(अ).— केन्द्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट समझा जाएगा।

तालिका

क्र.सं .	नई राष्ट्रीय	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
	राजमार्ग	
	संख्या	
(1)	(2)	(3)
590	109 के	उत्तराखंड राज्य में जौलजीबी के निकट रारा - 9 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर
		मुनसियारी, बागेश्वर, ग्वालधाम को जोड़ने वाला और सिमली के निकट रारा -109 के
		साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

(1)

पाद टिप्पण:राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ),दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 517(अ), दिनांकित 3 फरवरी, 2021 द्वारा किया गया था।

> [फा. सं. एनएच-14012/11/2020-पी एंड एम] राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2021

S.O. 657(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
590	109K	The highway starting from its junction with NH-9 near Jauljibi connecting Munsiyari, Bageshwar, Gwaldam and terminating at its junction with NH-109 near Simli in the State of Uttarakhand.

Footnote: The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 517 (E), dated 3rd February, 2021.

[F. No. NH-14012/11/2020-P&M]

RAJESH GUPTA, Director